न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

0नम्बर 07/2018(जी.सी.एम.एस.नम्बर:2018/00021) पीठासीन अधिकारीः—डॉ.रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. सतीशचन्द
2. राजेन्द्र प्रसाद } पुत्रगण मंगतूराम जाति वैश्य नि0 सेऊ वाली गली कस्बा डीग तहसील डीग

—प्रार्थीगण

बनाम

1. हरनाथकौर पत्नी भूप सिंह जाति जाटव नि0 गदालपुर तहसील डीग
2. तहसीलदार तहसील डीग

—अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251—ए,राज0 टि0 एक्ट
व 151 जा.दी.

निर्णय दिनांक: 18.06.2024

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)आर.टी.एक्ट व 151 जा.दी. इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 570/1/0.35, 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 570/1/0.35 प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 570/1/0.35 है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजी में हमेशा से आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 में होकर आते जाते है जो हमेशा से सडक के चहका रहे है। जिसमें होकर प्रार्थीगण अपने खेतों को आते जाते रहे है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का एक मात्र रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस रास्ते में होकर प्रार्थीगण व जमाने बुजुर्गान से आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी खसरा नम्बर 570/1/0.35, को आने जाने के लिए अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65, में से आने जाने के लिए 30 फुट चाडा रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर) राज.

Scanned with OKEN Scanner

छोड रखा था जिसमें होकर प्रार्थीगण आते जाते है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी में आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है अन्य कोई रास्ता नहीं है और अब अप्रार्थी द्वारा 30 फुट चाडा रास्ता को बन्द करने की धमकी देने लगी है और कहती है कि आराजी मुत0 मेरे नाम है और अब मैं रास्ता को बन्द करके रहूँगी व प्रार्थीगण के एक मात्र रास्ता जोकि खसरा नम्बर 578/1/0.65 में होकर है को बन्द करके रहूँगी। लिहाजा प्रार्थीगण आ.ख.नम्बर 578/1/0.65,में से 30 फुट चौडा रास्ता दक्षिण से उत्तर का घोषित किया जावे। आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 में से 30 फुट चौडा रास्ता के लिए जो प्रतिकर के संदाय क लिए प्रार्थीगण राशि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना है कि आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में से 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जावे और आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 में से 30 फुट चौडा दक्षिण से उत्तर रास्ता के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.11.2020 को प्रति0 सं. 01 बाबजूद सूचना/तामील के उपस्थित अदालत नहीं आने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 06.10.2022 को प्रति0 संख्या 01की ओर श्री प्रवीण चौधरी एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सपठित धारा 151 जा.दी. पेश किया गया। दिनांक 04.04.2024 को प्रार्थना आदेश 9 नियम 7 जा.दी. का निर्णय कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते प्रार्थी संख्या 01 को पक्ष प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 03.05.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 हरनाथकौर की ओर से जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 में कभी भी प्रार्थीगण के आने जाने के लिए रास्ता नहीं रहा है। प्रार्थीगण के पास में हाल आराजी खसरा नम्बर 570/1/0.35 पर आने जाने का वैकल्पित मार्ग स्थित है और उसी रास्ता में होकर प्रार्थीगण आते जाते है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने खातेदारी क खसरा नम्बर 578/1/0.65 में कभी भी 30 फुट चौडा रास्ता प्रार्थीगण को नहीं छोडा था। प्रार्थीगण के पास वैकल्पित मार्ग मौजूद है और प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 व 4 में वैकल्पित मार्ग नहीं होने की बावत कथन गलत अंकित किया है और ना ही कभी भी अप्रार्थी की आराजी में होकर प्रार्थीगण एवं उनके बुजुर्गान व जानिव दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रार्थी की भूमि में होकर नहीं आते थे और मौके पर उक्त खसरा नम्बर 5701/0.35 पडत पडा हुआ है। जिमसें

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

ो प्रकार की काश्त नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त भूमि का रिहायशी कॉलोनी बेचान ने के लिए दीगर व्यक्तियों से सौदा कर रखा है और कॉलोनी डवलप करने के लिये महज ार्थी की आराजी में होकर रास्ता की गलत मांग की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए, र.टी.एक्ट, का जबाव पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

रण के सम्बन्ध में तहसीलदार डीग के द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2024/424 दिनांक 14.05. 24 में वर्णित किया गया है कि आ.ख.नम्बर 826/570 रकबा 0.35 हैक्टे0 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र ातूराम हि0 1/3 व सतीशचन्द पुत्र मंगतूराम हि0 2/3 जाति वैश्य सा. कस्बा खातेदार दर्ज कार्ड है। मौके पर उक्त ख.नम्बर में जाने क लिए कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए उक्त ख0 म्बर के सामने 832/578 रकबा 0.43 हैक्टे0 किस्म वारानी प्रथम में राज0सरकार हि0 033/6500सिवायचक विला लगानी व हरनाथकौर पत्नी भूपसिंह हि0 5467/6500 जाति जाटव ा0 गदालपुर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर ख0 नम्बर 832/578/0.43 हैक्टे0 सडक के हका व खड्डा के रूप में है। उक्त खसरा नम्बर में पूर्व दक्षिण कोने पर एक टीननुमा "10X12" में मरा बना हुआ है। रास्ते के लिए भूमि खसरा नम्बर 832/578/0.43 हैक्टे0 किस्म वारानी प्रथम ं से उत्तर पश्चिम के कोने से 16x9 वर्ग मीटर=144 वर्ग मीटर रास्ते के लिए भूमि की आवश्यकता । इसके अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

ार्थना पत्र पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा बहस प्रस्तुत करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 215–ए आर.टी.एक्ट में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में से 30 फुट चौडा रास्ता घोषित किया जावे और आराजी खसरा नम्बर 578/1/0. में से 30 फुट चौडा दक्षिण से उत्तर रास्ता के आदेश दिये जाने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा प्रस्तुत जबाव के तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त भूमि का रिहायशी कॉलोनी बेचान करने के लिए दीगर व्यक्तियों से सौदा कर रखा है और कॉलोनी डवलप करने के लिये महज अप्रार्थी की आराजी में होकर रास्ता की गलत मांग की है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए, आर.टी.एक्ट, को खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अध्ययन तथा वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अपने वाद/प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्बत 2069 से 2072 तथा नक्सा हाल, जमाबन्दी सम्बत 2073—2076 पेश की गई। तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया है कि मौके पर ख0 नम्बर 832/578/0.43 हैक्टे0 सडक के चहका व खड्डा के रूप में है। उक्त खसरा नम्बर में पूर्व दक्षिण कोने पर एक टीननुमा "10X12"में कमरा बना हुआ है। रास्ते के लिए भूमि खसरा नम्बर 832/578/0.43 हैक्टे0 किस्म वारानी प्रथम में से उत्तर पश्चिम के कोने से 16x9 वर्ग मीटर =144 वर्ग मीटर रास्ते के लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में हम दावा/प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में से 30 फुट चौडा रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए, प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में से 30 फुट चौडा रास्ता दक्षिण से उत्तर में कायम किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार डीग को निर्देशित किया जाता है कि इस हेतु प्रार्थीगण से प्रतिकर संदान के लिए निर्धारित दर अनुसार राशि का आंकलन कराया जाकर नियमानुसार कार्यवाही संपादित की जावे।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner